भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3523

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज करने हेतु दिशानिर्देश और मानक

3523. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अपनी सीओपी 26 प्रतिबद्धता के अनुरूप परिवहन क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग हेतु संशोधित दिशानिर्देश और मानक जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नए दिशानिर्देश किस हद तक राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) और राज्य की राजधानियों में इलेकट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में मदद कर सकते हैं; और

(घ) सरकार के इस कदम पर जनता, स्टार्टअप और निजी संस्थाओं की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्तमान में, भारतीय सड़क परिवहन क्षेत्र पर गैसोलिन और डीजल वाहनों का वर्चस्व है जिसके कारण जीएचजी उत्सर्जन होता है। समग्र विद्युत ग्रिड सम्मिश्रण में नवीकरणीय उत्पादन की बढ़ती हुई भागीदारी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीज) का अंगीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्सर्जन सघनता में कमी करने की अत्यधिक संभावना है। ई-मोबिलिटी के प्रति पारगमन को समर्थकृत बनाने और इसके अंगीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से देश में सुरक्षित, सुलभ, वहनीय और संबद्धित सार्वजनिक ईवी चार्जिंग पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन महत्वपूर्ण है।

इस दिशा में, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14 जनवरी, 2022 को "इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसरंचना - समेकित दिशा-निर्देश और मानक" जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों और मानकों में ईवी चार्जिंग अवसंरचना के सृजन में अग्रसक्रिय रूप से सहयोग करने, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन संचालकों/स्वामियों और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) स्वामियों से वसूली योग्य वहनीय टैरिफ की व्यवस्था करने, ईवी स्वामियों को अपने मौजूदा विद्युत कनेक्शनों का प्रयोग करते हुए अपने निवास/कार्यालयों में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में समर्थ बनाने, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के प्रचालन को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उपयोग की गई भूमि हेतु राजस्व साझीदारी मॉडल प्रदान करने, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने और ईवी सार्वजनिक अवसंरचना शुरू करने, सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना हेतु अवसंरचना आवश्यकताओं की रूपरेखा का प्रावधान है। इन दिशा-निर्देशों और मानकों में यथा निर्धारित मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) को विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ सिंगल पार्ट टैरिफ होगा और 31 मार्च, 2025 तक "औसत आपूर्ति लागत" से अधिक नहीं होगा।
ii. डिस्कॉम विभिन्न क्षेत्रों में आगामी चार्जिंग अवसंरचना के कारण आवश्यक सामान्य अपस्ट्रीम नेटवर्क संवर्धन के लिए **'**भाग क - वितरण अवसंरचना**'** के अंतर्गत संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) से वित्त पोषण का लाभ उठा सकते हैं। संशोधित स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार की वित्तीय सहायता से डिस्कॉमों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों की लागत ईवी के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के उपभोक्ताओं से प्रभारित नहीं की जाएगी।
iii. हाउसिंग सोसायटियों, मॉल, कार्यालय परिसरों, रेस्तरांओं, होटलों आदि द्वारा आगंतुकों के वाहनों, जिन्हें परिसर में आने की अनुमति को चार्ज करने के लिए, वाहनों की चार्जिंग हेतु सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकते हैं।
iv. ऐसे फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो 100% आंतरिक/कैप्टिव उपयोग के लिए हैं, आवश्यकता के अनुसार चार्जिंग विशिष्टताओं के चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

v. डिस्कॉमों को 'विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020' में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुरूप पीसीएस के लिए विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के निदेश जारी किए गए हैं।

vi. पीसीएस के लिए कनेक्शन मेट्रो शहरों में 7 दिन, अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन के भीतर प्रदान किए जाएंगे। उपयुक्त आयोग उपर्युक्त वर्णित सीमा से कम समय-सीमा निर्दिष्ट कर सकता है।

vii. कोई भी पीसीएस/चार्जिंग स्टेशनों की श्रृंखला भी खुली पहुंच के माध्यम से किसी भी उत्पादन कंपनी से विद्युत प्राप्त कर सकती है। इस कार्य के लिए खुली पहुंच 15 दिन के भीतर प्रदान की जाएगी। केवल क्रॉस सब्सिडी प्रभार (टैरिफ नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 प्रतिशत से अधिक नहीं), पारेषण प्रभार और व्हीलिंग प्रभार लागू होंगे।

viii. दिशा-निर्देशों में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना (पीसीआई) की आवश्यकता, लम्बी दूरी की ईवीज तथा/अथवा हैवी ड्यूटी ईवीज के लिए पीसीआई, पीसीएस के स्थान, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के डेटाबेस, ईवी पीसीएस को विद्युत की आपूर्ति के टैरिफ और पीसीएस पर सेवा प्रभार के ब्यौरे भी शामिल होंगे।

ix. भूमि के किराये और प्रभारों की उच्च लागत के कारण दिशा-निर्देशों में पीसीएस के लिए प्रोत्साहनात्मक दरों पर भूमि के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। सरकार/सार्वजनिक कंपनियों के पास उपलब्ध भूमि सरकार/सार्वजनिक कंपनी को 1 रूपया/किलोवाट प्रति घंटा (चार्जिंग के लिए प्रयुक्त) की निश्चित दर पर राजस्व सहभागिता आधार पर प्रदान की जाएगी जिसका भुगतान भूमि स्वामित्व एजेंसी को आरंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाना है।

(ग) : विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.01.2022 को जारी संशोधित समेकित दिशा-निर्देश और मानकों के अनुसार सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना का नियोजन दो चरणों में किए जाने का प्रस्ताव है। चरण-I में, 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले सभी मेगा शहरों और इन मेगा शहरों से जुड़े सभी मौजूदा एक्सप्रेसवेज़ और इन सभी मेगा शहरों से जुड़े महत्वपूर्ण राजमार्गों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के चरण-II में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना की संस्थापना के लिए, राज्यों की राजधानियों, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालयों और इन शहरों से जुड़े महत्वपूर्ण राजमार्गों को कवर करने का प्रस्ताव है।

(घ) : विद्युत मंत्रालय ने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसरंचना के लिए अपने संशोधित दिशा-निर्देशों और मानकों के माध्यम से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में निजी सार्वजनिक**,** स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के निम्नानुसार प्रावधान किए हैं:

i. सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कोई भी व्यक्ति/कंपनी स्वतंत्र है।

ii. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए किसी निजी कंपनी को भूमि प्रदान करने के लिए ₹1/किलोवाट प्रति घंटा के आधार मूल्य पर नीलामी आधार पर सार्वजनिक भू-स्वामित्व एजेंसी द्वारा अंगीकरण हेतु राजस्व साझीदारी मॉडल निर्धारित किया गया है।

iii. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन को विद्युत कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए समय-सीमा विनिर्दिष्टि की गई है।

iv. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (स्टेशनों) को खुली पहुंच के माध्यम से किसी भी उत्पादन कंपनी से विद्युत प्राप्त करने की अनुमति है।

v. सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी चार्जिंग स्टेशनों को विद्युत की आपूर्ति के लिए संवर्धनात्मक टैरिफ को सिंगल पार्ट टैरिफ के रूप में विनिर्दिष्टि किया गया है जो 31 मार्च, 2025 तक औसत आपूर्ति लागत से अधिक नहीं होगा।

सरकार द्वारा सृजित उक्त उल्लिखित पारिस्थितिकी-तंत्र के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा संस्थापित 1633 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं और वर्तमान में प्रचालनरत हैं।

****